कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बॉदा

नोटिस

पत्रांकः–सी0एम0ओ0 / पी0एम0एस0मा0अ0 / 2017–18 / दिनांक 27.01.2018

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत बांदा शहर एवं अतर्रा में अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के चयन के सम्बन्ध में।

बॉदा जनपद के समस्त अल्ट्रासाउण्ड सेवा प्रदाताओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / पी0एम0एस0एम0ए0 / 134 / 10253–2 दिनांक 04.01.2018 एवं दिनांक 20.01.2018 को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के अन्तर्गत पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र विस्तारित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है, जिसके अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः बॉदा नगर एवं अतर्रा के इच्छुक अल्ट्रासाउण्ड सेवा प्रदाता 10 दिनों के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बॉदा में आवेदन कर सकते हैं।

1. अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र जिला महिला चिकित्सालय से 1–2 कि0मी0 के अन्दर स्थापित होना चाहिए।
2. जिन महिलाओं का अल्ट्रासाउण्ड किया जायेगा इसके एवज में प्रति केस रु. 255 / प्रति केस अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र को भुगतान किया जायेगा।

प्रतिलिपि– No- 423.2

1. जिला सूचना अधिकारी बॉदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र–बांदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को एन0आई0सी0 पोर्टल पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय बांदा।

मुख्य चिकित्साधिकारी
बांदा 27/1/18